कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक–व–15 ख (3) अप.शा./विधि/2013/ 1454-94 दिनांक : 14-2-2014

पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
समस्त महानिरीक्षक पुलिस, रेंज राजस्थान मय जी.आर.पी. जयपुर।

समस्त पुलिस उपायुक्त जयपुर/जोधपुर
समस्त जिला पुलिस अधीक्षकगण राजस्थान मय जी.आर.पी. अजमेर/जोधपुर।

विषय :– चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (स्कूटनी) के संबंध में।

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र संख्या 10707–57 दिनांक 16.12.2013 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में विशिष्ट शासन सचिव, गृह (ग्रुप–10) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प–11 (16) गृह–10/2013 दिनांक 29.01.2014 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामलों में उप निदेशक अभियोजन एवं समस्त सैशन प्रकरणों के मामलों में सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा चालान वाले प्रकरणों में चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (स्कूटनी) कराया जाना एवं आदेश में अंकित अन्य प्रकिया/निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे आरोप पत्र संबंधित न्यायालय में पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक के मार्फत पेश करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस.एन. खींची)
पुलिस अधीक्षक,
(अन्वेषण),
सी.आई.डी.(सी.बी.),राज., जयपुर।

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

क्रमांक :– प.11(16)गृह–10 / 13 जयपुर, दिनांक 29-1-14

–:आदेश:–

गृह (ग्रुप–10) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.11(16) गृह–10 / 13 दिनांक 02.12.2013 मे राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.1(3) के प्रावधानो के अधीन यह निर्देशित किया गया था कि न्यायालयों मे कार्यरत अभियोजन अधिकारियो द्वारा पुलिस अनुसंधान के उपरान्त न्यायालय मे आरोप पत्र पेश करें। अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र पेश किए जाने से पूर्व आरोप पत्र की सूक्ष्मता से जाच / संवीक्षा करें एवंयह देखें कि मुलजिम पर प्रस्तावित आरोप सिद्ध किये जाने हेतु सभी दस्तावेज या अन्य सुसंगत आरोप पत्र के साथ संलग्न है।

इस सम्बन्ध मे यह उक्त परिपत्र को आंशिक संशोधित कर इस प्रकार आदेशित किया जाता है कि–

- 4 FEB 2014

1. एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के मामलो मे उप निदेशक अभियोजन द्वारा चालान वाले प्रकरणों मे चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (स्कूटनी) की जावेगी तत्पश्चात् सक्षम पुलिस अधिकारी को पत्रावली आदेश हेतु भिजवा दी जावे।
2. समस्त सेशन प्रकरणों के मामले मे सहायक निदेशक अभियोजन द्वारा चालान वाले प्रकरणों मे चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (स्कूटनी) की जावेगी तत्पश्चात् सक्षम पुलिस अधिकारी को पत्रावली आदेश हेतु भिजवा दी जावे।

537 / 4/2/14

उक्त आदेश 02.12.2013 की मंशा इस प्रकार स्पष्ट की जाती है कि राजस्थान पुलिस नियम 1965 के नियम 8.1(3) के तहत समस्त सहायक लोक अभियोजक प्रथम / द्वितीय चालान वाले प्रकरणों मे चार्जशीट किता करने से पूर्व अनुसंधान पत्रावली की छानबीन (स्कूटनी) की जावेगी तत्पश्चात् वृत्ताधिकारी पुलिस के पास आदेश हेतु भिजवा दी जावे।

इन सभी मामलों मे चालान पेश करने के संबंध मे वृत्ताधिकारी / पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाधिकारी को आदेशित करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक का ऐसा चालान आदेश का निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(डी. पी. शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि वे आरोप पत्र संबंधित न्यायालय मे पदस्थापित सहायक लोक अभियोजक के मार्फत पेश करें।
3. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान, को उचित कार्यवाही हेतु।
4. समस्त उप निदेशक अभियोजन को भेजकर लेख है कि समस्त सहायक निदेशक अभियोजन के द्वारा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
5. सहायक निदेशक अभियोजन को भेजकर लेख है कि समस्त अधीनस्थ अभियोजन अधिकारियों को आदेश की प्राप्ति सुनिश्चित कर, 15 दिवस में पालना रिपोर्ट निदेशालय को भिजवावे।
6. रक्षित पत्रावली।

(डी. पी. शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह